फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री जगाराम पिता श्री जवानाराम निवासी बासड़ाई पो. लाखागुडा तहसील भीम जिला राजसमंद
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 19/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2022 पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2022/339–341 दिनांक 14 मार्च, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांकःएफ.1() सू.अ.,05/2020/44–45 दिनांक 07.01.2022 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग को अंतरित कर प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा के द्वारा जरिये पत्रांकः 3706 दिनांक 10.01.2022 से सूचना के अधिकारी, 2005 की धारा 2 एच के अनुरूप अभिलेख पर उपलब्ध सूचना अनुसार सूचना नहीं होने से संबंधित कार्यालय को पुरालेख अधिकारी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अजमेर व तहसीलदार, भीम को समयावधि में अंतरण किया गया, जिसकी सूचना प्रार्थी को प्रतिलिपि देते हुए सूचित कराया गया। लोक सूचना अधिकारी–अतिरिक्त कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना प्रभारी	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांकः एफ.1( )सू.अ.,05/2020/44–45 दिनांक 07.01.2022 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(i)(ii) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग को अंतरित कर प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा के द्वारा जरिये पत्रांकः 3706 दिनांक 10.01.2022 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 एच के अनुरूप अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना नहीं होने से संबंधित कार्यालय को पुरालेख अधिकारी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अजमेर व तहसीलदार, भीम को समयावधि में अंतरण किया गया, जिसकी सूचना से प्रार्थी को प्रतिलिपि के माध्यम से दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)